सत्यमेव जयते

सप्तदश
बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

नवम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 528/2021 पर प्रतिवेदन

(दिनांक............ को सदन में उपस्थापित) ।

280622

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1
5. परिशिष्ट	2–4

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची--

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32)	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150)	स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198)	स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110)	स०वि०स०
5. श्री रामविलास कामत (42)	स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166)	स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11)	स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121)	स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146)	स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164)	स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113)	स०वि०स०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2. श्री पवन कुमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री पवन कुमार सिन्हा	उप-सचिव
4. श्री (मो०) शमीम अहमद	अवर-सचिव
5. श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8. श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

निवेदन के संबंध में विचार-विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिये समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

विनोद नारायण झा,

सभापति,

निवेदन समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 528/2021

दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा अन्तर्गत बंद ''रैयाम चीनी मिल'' को चालू करने हेतु निजी निवेदक को 13 अप्रील, 2010 को दिया गया निवेशक द्वारा मिल स्थापित नहीं किये जाने पर तीन कानूनी नोटिस भी दिया गया है, परन्तु अभीतक मिल स्थापित करने की दिशा में निवेशक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है । निवेशक द्वारा गैर-कानूनी रूप से मिल का जमीन को किराये पर दिया जा रहा है एवं मिल के यंत्रों को बेचा जा रहा है ।

अतः इसकी जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया गया है । (परिशिष्ट-1)

श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3254, दिनांक 9 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट-2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1178, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट-3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई रैयाम वर्ष 1994-95 से रूग्न होकर बंद थी । बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों पर गन्ना आधारित उद्योगों एवं अन्य उद्योग की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने के लिये वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी । द्वितीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से रैयाम चीनी मिल को श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में स्थापित करने हेतु लीज पर दिनांक 13 अप्रील, 2010 को दिया गया है । निवेशक द्वारा चीनी मिल स्थापित नहीं किये जाने के कारण तीन लीगल नोटिस एवं अंतिम स्मार-पत्र दिया गया । निवेदन द्वारा विभागीय पत्रों का उत्तर संतोषजनक एवं तर्क संगत नहीं दिये जाने एवं डीड के शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा राशि को जब्त करते हुये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है ।

समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन पत्रांक 1178, दिनांक 29 जुलाई, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 528/2021 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट-1

श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 528/2021

दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा के अन्तर्गत बंद ''रैयाम चीनी मिल'' को चालू करने हेतु निजी निवेशक को 13 अप्रील, 2010 को दिया गया निवेशक द्वारा मिल स्थापित नहीं किये जाने पर तीन कानूनी नोटिस भी दिया गया है, परन्तु अभीतक मिल स्थापित करने की दिशा में निवेशक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है । निवेशक द्वारा गैर-कानूनी रूप से मिल का जमीन को किराये पर दिया जा रहा है एवं मिल के यंत्रों के बेचा जा रहा है ।

अतः निवेदन है कि इसकी जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई करायी जाये ।

परिशिष्ट-2

सं० 2 नि०-528/2021/ 3254-वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान-सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 09 जुलाई, 2021 (ई०) ।

विषय--सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 528/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री मुरारी मोहन झा (86), स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

कृप्या इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव ।

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-3

श्री मुरारी मोहन झा (86), स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 528/2021

निवेदन दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा अन्तर्गत बंद ''रैयाम चीनी मिल'' को चालू करने हेतु निजी निवेशक को 13 अप्रील, 2010 को दिया गया निवेशक द्वारा मिल स्थापित नहीं किये जाने पर तीन कानूनी नोटिस भी दिया गया है, परन्तु अभीतक मिल स्थापित करने की दिशा में निवेशक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है । निवेशक द्वारा गैर-कानूनी रूप से मिल का जमीन को किराये पर दिया जा रहा है एवं मिल के यंत्रों को बेचा जा रहा है ।

अतः निवेदन है कि इसकी जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई करायी जाये ।

<u>सरकार को वक्तव्य</u>

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई रैयाम वर्ष 1994-95 से रूग्न होकर बंद थी । बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने के लिये वित्तीय सलाहकार, SBI Caps के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी । द्वितीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से रैयाम चीनी मिल को श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में स्थापित करने हेतु लीज पर दिनांक 13 अप्रील, 2010 को दिया गया है । निवेशक द्वारा चीनी मिल स्थापित नहीं किये जाने के कारण तीन लीगल नोटिस एवं अंतिम स्मार-पत्र दिया गया । निवेशक द्वारा विभागीय पत्रों का उत्तर संतोषजनक एवं तर्क संगत नहीं दिये जाने एवं लीज डीड के शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा राशि को जब्त करते हुये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है ।

विश्वासभाजन

अरूण कुमार,

सरकार के अवर-सचिव ।

बि०स०मु०—101 (एल० ए०)—2021—22 डी० टी० पी० —300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022